दावा 72/2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 19/08/19 | पत्रावली पेश हुई। वकील ने साक्ष्य पेश नहीं कर लिये बहस हेतु निवेदन किया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/08/19 को पेश हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर | |
| 26/08/19 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण अभिभाषक संघ फतेहपुर ने कार्य स्थगित कर रखा है। अनुपस्थित। एस.डी. ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 04/09/19 को पेश हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर | |
| 28/09/19 | पत्रावली वकील वादी द्वारा मिसल तलबी का आवेदन पेश करने पर पेशी में ली गयी। वकील वादी ने आवेदन अ. आ. 6 नि. 17 जा. दी. पेश कर वाद पत्र में संशोधन हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। वकील वादी ने संशोधित वाद पत्र पेश किया। शामिल पत्रावली हो। वकील वादी की बहस सुनी गयी। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली हो। <br> पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> (रेनू मीणा) <br> उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 72/2018

चुकी देवी पत्नी नन्दलाल खटीक जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 23 सुभाष नगर कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

........वादी

बनाम

1. मूंगाराम पुत्र आशाराम
2. सोहनी देवी पत्नी स्व. प्रकाश
3. सोनू पुत्र स्व. प्रकाश
4. पंकज पुत्र स्व. प्रकाश जरिये सरंक्षक माता सोहनी देवी पत्नी स्व. प्रकाश
   समस्त जाति मेघवाल निवासीगण वार्ड नं. 2 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
5. पटवारी हल्का कस्बा फतेहपुर
6. उपपंजीयक फतेहपुर
7. तहसीलदार फतेहपुर

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता
श्री अनिल बाटड़ – वादी

निर्णय दिनांकः–28.08.2019

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खाता नं. 296 खसरा नम्बर 249 रकबा 1.88है. व खसरा नम्बर 251 रकबा 2.35है. नया खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460है., खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520है, खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0.0600है., खसरा नम्बर 597 रकबा 1.6440है., खसरा नम्बर 2414/590 रकबा 0. 7680है. व खसरा नम्बर 2417/597 रकबा 0.6600 वाके कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है। इनमें से खसरा नम्बर 24414/590 रकबा 0.7680है. व खसरा नम्बर 2417/597 रकबा 0.6600 है. भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्त कर ली गई जिनके कारण उपरोक्त दोनों खसरा नम्बर की भूमियों में वादीया का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। शेष खरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460है., खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520है, खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0.0600है., खसरा नम्बर 597 रकबा 1.6440है. को आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

विवादित आराजियात में से 0.0881है. जो कि उक्त विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज प्रकाश पुत्र रामकुवार की खातेदारी काश्तकारी

उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज प्रकाश ने अपने अपने सम्पूर्ण हिस्से भूमि भाग अर्थात 0.881 है. कृषि भूमि को वादीया को दिनांक 11.07.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बतौर प्रतिफल राशि 1,90,000/— रू. एक लाख नब्बे हजार रू. प्राप्त कर विक्रय किया था। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज प्रकाश ने अपने अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादीया का प्रत्येक का उक्त विवादित आराजियात के 1/6 व 1/24 हिस्से की काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वे इसके अनुसार अपना हिस्सा विधिक रूप से उदघोषित करवाने की अधिकारीणी है। खसरा नम्बर 2414/590 रकबा 0.7680है., खसरा नम्बर 2417/597 रकबा 0.6600है. भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्त कर ली गई जिनके कारण उक्त दोनो ख. नं. में वादीया का कोई हक अधिकार नहीं है।

उक्त विवादित आराजीयात के पास से नेशनल हाईवे नं. 65 गुजरने से उक्त विवादित आराजियात में से कुछ कृषि भूमि नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त की गई थी जिस कारण उक्त विवादित आराजियात का वर्तमान सम्पूर्ण रकबा कम हो गया जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश के हिस्से में 569/56040 हिस्सा भूमि भाग रहा तथा प्रकाश की मृत्यु के पश्चात प्रकाश की जगह उसके विधिक वारिसान को उक्त वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। जिसका उक्त विवादित आराजियात में कोई भी हिस्सा नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की 1/6 हिस्सा भूमि भाग है जो कि वर्तमान में दर्ज कृषि भूमि का रकबा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज कराने की अधिकारीणी है।

वादीया की उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सहवन से अभी तक खातदारी दर्ज नहीं हुई है। इस बात का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अन्य प्रतिवादीगण से मिलकर उनके हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी वादीया को 2 रोज से दे रहे है जिसमें अगर प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादीया को असीम हानि कारित होगी जिसके लिये वादीया प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने की अधिकारी है।

उपरोक्त वर्णित विवादीत आराजियात को वादीया ने प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज प्रकाश का 569/56040 हिस्सा भूमि भाग हिस्सा विधिक रूप से बनता है को एक लाख नब्बे हजार रूपये अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2007 को क्रय किया था तथा तब से लेकर आज तक उक्त भूमियों में विधिक रूप से बनता है का कब्जा काश्त निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा उक्त विवादीत आराजियात के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम अभी तक खातेदार के रूप में दर्ज नहीं हुआ है। जिसके कारण भी वादीया उक्त विवादीत आराजियात के राजस्व रिकार्ड में भी तद्नुसार अपना नाम उदघोषित करवाने की अधिकारीणी है।

वादीया की उक्त वर्णित विवादीत आराजियात में प्रतिवादीगण गत 2 रोज से उनके कब्जे काश्त में बाधा पहुंचा रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें बेदखल करने पर गत 2 रोज से तत्पर है जिसके कारण वादीया को वाद कारण हासिल है। साथ ही वादीया द्वारा बार बार प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 से आग्रह करने के बावजूद भी उनके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2007 के आधार पर अभी तक उनका उपरोक्त वर्णित विवादीत आराजियात के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं किया गया है

वाद वादीया बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिकी फरमाया जावे कि भूमि खाता नं. 296 खसरा नम्बर 249 रकबा 1.88है. व खसरा नम्बर 251 रकबा 2.35है. नया खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460है., खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520है, खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0.0600है., खसरा नम्बर 597 रकबा 1.6440है. कुल खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 2.802है. वाके कस्बा फतेहपुर जिला सीकर में प्रतिवादी संख्या 1 मूंगाराम के 1/6 हिस्सा भूमि भाग व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज प्रकाश के 569/56040 हिस्सा भूमि भाग बनता था उसकी खातेदार काश्तकार वादीया को उदघोषित किया जावे तदनुसार उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में उक्त अनुसार वादीया का नाम दर्ज किया जाये।

मिसल मूर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीया डिक्री किया जाकर भूमि खाता नं. 296 खसरा नम्बर 249 रकबा 1.88है. व खसरा नम्बर 251 रकबा 2.35है. नया खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460है., खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520है, खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0.0600है., खसरा नम्बर 597 रकबा 1.6440है. कुल खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 2.802है. वाके कस्बा फतेहपुर जिला सीकर में प्रतिवादी संख्या 1 मूंगाराम के 1/6 हिस्सा भूमि भाग व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज प्रकाश के 569/56040 हिस्सा भूमि भाग बनता था उसकी खातेदार काश्तकार वादीया को उदघोषित किया जाता है तदनुसार उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में उक्त अनुसार वादीया का नाम दर्ज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

# पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस.)......................................................

चुकी देवी पत्नी नन्दलाल खटीक जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 23 सुभाष नगर कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

........वादी

बनाम

1. मूंगाराम पुत्र आशाराम
2. सोहनी देवी पत्नी स्व. प्रकाश
3. सोनू पुत्र स्व. प्रकाश
4. पंकज पुत्र स्व. प्रकाश जरिये सरंक्षक माता सोहनी देवी पत्नी स्व. प्रकाश समस्त जाति मेघवाल निवासीगण वार्ड नं. 2 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
5. पटवारी हल्का कस्बा फतेहपुर
6. उपपंजीयक फतेहपुर
7. तहसीलदार फतेहपुर

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधज्ञा

मुकद्दमा नं.....72...........................सन्....2018..............................................................

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे.............................................................

व हाजिरी...श्री अनिल बाटड़ एडवोकेट.........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि खाता नं. 296 खसरा नम्बर 249 रकबा 1.88है. व खसरा नम्बर 251 रकबा 2.35है. नया खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460है., खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520है, खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0.0600है. , खसरा नम्बर 597 रकबा 1.6440है. कुल खसरा नम्बर 4 कुल रकबा 2.802है. वाके कस्बा फतेहपुर जिला सीकर में प्रतिवादी संख्या 1 मूंगाराम के 1/6 हिस्सा भूमि भाग व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज प्रकाश के 569/56040 हिस्सा भूमि भाग बनता था उसकी खातेदार काश्तकार वादीया को उदघोषित किया जाता है तदनुसार उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में उक्त अनुसार वादीया का नाम दर्ज किया जाता है।

निज........– ................................मुबलिग................–......................बाबत.......................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह................–.........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख अदायगी तक..............................................का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....28.....माह ......अगस्त..........सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत............................................

मुहर

ओहदा............................................ उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दयलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 4 | | स्टाम्प अर्जी दावा | – | |
| स्टाम्प वकालत नामा | 1 | | स्टाम्प वकालत नामा | – | |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | | स्टाम्प वजह सबूत | – | |
| महन्ताना वकील | – | | महन्ताना वकील | – | |
| खर्चा गवाहान | – | | खर्चा गवाहान | – | |
| फीस कमिश्नर | – | | फीस कमिश्नर | – | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | – | | बबत इजराय हुक्मनामा | – | |
| मुतफरिक | – | | मुतफरिक | – | |
| मीजान | 5 | | | – | |

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर